

संख्या- 406/एक-10-2026

प्रेषक,

अरूण प्रकाश,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, औरैया, अयोध्या, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर,
बस्ती, चन्दौली, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड,
अमरोहा, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खीरी, ललितपुर,
लखनऊ, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मीरजापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर,
जालौन, प्रयागराज, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, शामली, श्रावस्ती, सुलतानपुर,
सोनभद्र, उन्नाव एवं वाराणसी।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 14-04-2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अग्निकाण्ड से प्रभावित होने वाले
व्यक्तियों/परिवारों/कृषकों को तत्काल राहत सहायता/कृषि निवेश अनुदान प्रदान किये
जाने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय
वर्ष 2026-27 में अग्निकाण्ड से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों/कृषकों को
तत्काल राहत सहायता/कृषि निवेश अनुदान प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित
विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन **रु० 9,46,17,000/- (रूपये नौ करोड़
छियालिस लाख सत्रह हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित तालिका के कॉलम-
2 में अंकित जनपदों के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित धनराशि अग्रिम रूप से
सम्बन्धित जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष
स्वीकृति प्रदान करती हैं-

क्र० सं०	जनपद	आपदा का प्रकार/मद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
1	2	3	4
1	अलीगढ़	अग्निकाण्ड (07)	5.00
2	अम्बेडकर नगर	अग्निकाण्ड (07)	11.44

3	औरैया	अग्निकाण्ड (07)	7.89
4	अयोध्या	अग्निकाण्ड (07)	32.20
5	बागपत	अग्निकाण्ड (07)	5.00
6	बहराइच	अग्निकाण्ड (07)	78.38
7	बलिया	अग्निकाण्ड (07)	53.80
8	बलरामपुर	अग्निकाण्ड (07)	45.34
9	बस्ती	अग्निकाण्ड (07)	55.70
10	चन्दौली	अग्निकाण्ड (07)	6.60
11	देवरिया	अग्निकाण्ड (07)	55.41
12	एटा	अग्निकाण्ड (07)	5.00
13	इटावा	अग्निकाण्ड (07)	8.79
14	फर्रुखाबाद	अग्निकाण्ड (07)	14.62
15	गौतमबुद्धनगर	अग्निकाण्ड (07)	5.59
16	गाजियाबाद	अग्निकाण्ड (07)	25.94
17	हापुड	अग्निकाण्ड (07)	5.00
18	अमरोहा	अग्निकाण्ड (07)	5.00
19	जौनपुर	अग्निकाण्ड (07)	35.54
20	झांसी	अग्निकाण्ड (07)	11.39
21	कानपुर नगर	अग्निकाण्ड (07)	36.01
22	कासगंज	अग्निकाण्ड (07)	17.49
23	कौशाम्बी	अग्निकाण्ड (07)	38.65
24	खीरी	अग्निकाण्ड (07)	100.00
25	ललितपुर	अग्निकाण्ड (07)	5.00
26	लखनऊ	अग्निकाण्ड (07)	36.34
27	महोबा	अग्निकाण्ड (07)	10.60
28	मैनपुरी	अग्निकाण्ड (07)	5.79
29	मथुरा	अग्निकाण्ड (07)	21.10
30	मऊ	अग्निकाण्ड (07)	16.69
31	मेरठ	अग्निकाण्ड (07)	5.00
32	मीरजापुर	अग्निकाण्ड (07)	14.69
33	मुरादाबाद	अग्निकाण्ड (07)	5.00
34	मुजफ्फरनगर	अग्निकाण्ड (07)	5.00

35	जालौन	अग्निकाण्ड (07)	9.63
36	प्रयागराज	अग्निकाण्ड (07)	15.26
37	रामपुर	अग्निकाण्ड (07)	5.00
38	सहारनपुर	अग्निकाण्ड (07)	13.41
39	शाहजहांपुर	अग्निकाण्ड (07)	21.58
40	शामली	अग्निकाण्ड (07)	5.00
41	श्रावस्ती	अग्निकाण्ड (07)	13.83
42	सुलतानपुर	अग्निकाण्ड (07)	22.13
43	सोनभद्र	अग्निकाण्ड (07)	19.54
44	उन्नाव	अग्निकाण्ड (07)	21.80
45	वाराणसी	अग्निकाण्ड (07)	8.00
		योग	946.17
(₹0 नौ करोड़ छियालिस लाख सत्रह हजार मात्र)			

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट (डी.बी.टी.) के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
- (2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। जनपद द्वारा टी.आर.-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।
- (3) भारत सरकार के पत्र सं0-33-03/11.07.2023 द्वारा आपदा से प्रभावितों को राहत सहायता वितरित करने के निर्देश एवं मानक 2020-NDM-1 दिनांक दरें निर्धारित की गयी हैं। जनपद उक्त आवंटित धनराशि का वितरण भारत सरकार के उपरोक्त पत्र के अनुसार दिये गये निर्देशों एवं मानक दरों के आधार पर करेंगे।
- (4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वितीय एवं

प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने से पहले उनकी पात्रता का परीक्षण सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाये, आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि के प्रयोग /उपभोग/ समर्पण/ वितरण के सम्बन्ध में जारी सुसंगत शासनादेशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता/ लापरवाही बरती जाती है तो इसके लिए जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1- 11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2027 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तिकांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 9,46,17,000/- (रूपये नौ करोड़ छियालिस लाख सत्रह हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक- 245058000607 अग्निकाण्ड से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत

प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
Digitally signed by
ARUN PRAKASH
Date: 14-04-2026
18:32:33

(अरुण प्रकाश)

विशेष सचिव।

संख्या- 406(1)/एक10-2026- तद्विनांक ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, 30प्र0।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, 30प्र0, लखनऊ।
- 4- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 5 - विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, 30प्र0 शासन।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, 30प्र0।
- 7- सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, 30प्र0।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अरुण प्रकाश)

विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2026-2027
आवंटन दिनांक-14/04/2026

406

001-406

51 राजस्व विभाग (देवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)

2245 - प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत(आयोजनेतर-मतदेय)

05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड

800 - अन्य व्यय

06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय (राज्यांश)

07 - अप्रिंकांड से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पान्स फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	वर्तमान प्रगामी	12-अन्य व्यय	योग
1	अलीगढ़-4217-जिलाधिकारी, -01--	500000	500000	500000
2	एटा-4217-जिलाधिकारी, -01--	500000	500000	500000
3	फर्रुखाबाद-4217-जिलाधिकारी, -01--	1462000	1462000	1462000
4	इटावा-4217-जिलाधिकारी, --01--	879000	879000	879000
5	कानपुर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	3601000	3601000	3601000
6	झाँसी-4217-जिलाधिकारी, --01--	1139000	1139000	1139000
7	जौनपुर-4217-जिलाधिकारी, -01--	3554000	3554000	3554000
8	बलिया-4217-जिलाधिकारी, --01--	5380000	5380000	5380000
9	बस्ती-4217-जिलाधिकारी, --01--	5570000	5570000	5570000
10	देवरिया-4217-जिलाधिकारी, -01--	5541000	5541000	5541000
11	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4217-जिलाधिकारी, --01--	3634000	3634000	3634000
12	तखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी, --01--	10000000	10000000	10000000
13	अयोध्या-4217-जिलाधिकारी, --01--	3220000	3220000	3220000
14	बहराइच-4217-जिलाधिकारी, --01--	7838000	7838000	7838000
15	ललितपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	500000	500000	500000
16	गण्डियाबाद-4217-जिलाधिकारी, -01--	2594000	2594000	2594000
17	महोबा-4217-जिलाधिकारी, -01--	1060000	1060000	1060000
18	आबेडकर नगर-4217-जिलाधिकारी, -01--	1144000	1144000	1144000
19	गोतागबुद्ध नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	559000	559000	559000
20	चन्दौली-4217-जिलाधिकारी, --01--	660000	660000	660000
21	बलरामपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	4534000	4534000	4534000
22	औरैया-4217-जिलाधिकारी, -01--	789000	789000	789000
23	कोशाम्बी-4217-जिलाधिकारी, -01--	3865000	3865000	3865000
24	बागपत-4217-जिलाधिकारी, -01--	500000	500000	500000
25	अमरोहा-4217-जिलाधिकारी, -01--	500000	500000	500000
26	कासगंज-4217-जिलाधिकारी, --01--	1749000	1749000	1749000
27	हापुड़-4217-जिलाधिकारी, --01--	500000	500000	500000
	योग	71772000	71772000	71772000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रूपया सात करोड़ सत्रह लाख बहत्तर हजार
रूपया सात करोड़ सत्रह लाख बहत्तर हजार

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2026-2027
आवंटन दिनांक-14/04/2026

406

002-406

51 राजस्व विभाग (द्वैवि विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)

2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)

05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड

800 - अन्य व्यय

06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय (राज्यांश)

07 - अग्रिकांड से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पान्स फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	सहारनपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1341000 1341000	1341000 1341000
2	मुज़फ्फर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	500000 500000	500000 500000
3	मेरठ-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	500000 500000	500000 500000
4	मथुरा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2110000 2110000	2110000 2110000
5	मैनपुरी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	579000 579000	579000 579000
6	मुरादाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	500000 500000	500000 500000
7	शाहजहाँपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2158000 2158000	2158000 2158000
8	रामपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	500000 500000	500000 500000
9	प्रयागराज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1526000 1526000	1526000 1526000
10	जालौन-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	963000 963000	963000 963000
11	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	800000 800000	800000 800000
12	मिर्जापुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1469000 1469000	1469000 1469000
13	उन्नाव-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2180000 2180000	2180000 2180000
14	सुल्तानपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2213000 2213000	2213000 2213000
15	मऊ-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1669000 1669000	1669000 1669000
16	सोनभद्र-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1954000 1954000	1954000 1954000
17	श्रावस्ती-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1383000 1383000	1383000 1383000
18	शामली-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	500000 500000	500000 500000
	योग	वर्तमान प्रगामी	22845000 22845000	22845000 22845000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रूपया दो करोड़ अठाईस लाख पैतालीस हजार
रूपया दो करोड़ अठाईस लाख पैतालीस हजार

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी